



☎: 0141-2570678, 2569696 (7021,7226,1128)

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: F-4 (583)JDA\ADR&DP\D- 422

दिनांक:- 24-4-2018

माह मई 2018 का नीलामी कार्यक्रम
नीलामी स्थल - नीलामी हॉल जविप्रा, जयपुर

क्र० सं०	योजना का नाम	जोन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	बोली प्रारंभ करने की दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)	अमानता राशि (प्रत्येक भूखण्ड के लिए अलग से देय)	नीलामी दिनांक व समय
1	पालड़ी मीणा	10	आवासीय भू.सं. E-8 E-16	90.00 90.00	12,500/-	50,000/-	03.05.2018 11.00 A.M.
2	चक्रसुर्दशनपुरा ग्रेटर कैलाश कॉलोनी लालकोठी	3	आवासीय भू.सं. 14	285.01	1,00,000/-	15,00,000/-	04.05.2018 11.00 A.M.
	मालवीय नगर डी-ब्लॉक	1	आवासीय भू.सं. D-801	182.66	65,000/-		
3	खूसर विस्तार योजना	9	आवासीय भू.सं. 355 356	45.00 45.00	30,000/-	50,000/-	07.05.2018 11.00 A.M.
4	हाथोज करधनी विस्तार	12	आवासीय भू.सं. E-40 (कार्नर) E-41 (कार्नर)	157.50 157.50	11,000/-	50,000/-	08.05.2018 11.00 A.M.
5	पंचवटी योजना	5	आवासीय भू.सं. 25 88	161.18 164.43	50,000/-	50,000/-	09.05.2018 11.00 A.M.
6	सुमेल योजना	10	आवासीय भू.सं. B-189 B-198	162.00 162.00	9,500/-	50,000/-	10.05.2018 11.00 A.M.
7	न्यू आतिश मार्केट	5	व्यावसायिक भू.सं. 120 A 205	74.32 74.32	2,25,000/-	15,00,000/-	11.05.2018 11.00 A.M.
8	चित्रकुट योजना सैक्टर-8	7	आवासीय भू.सं. F-8/68 A F-8/71 A F-8/142 (कार्नर)	54.00 54.00 49.50	55,000/-	50,000/-	14.05.2018 11.00 A.M.
9	विद्याधर नगर सैक्टर-6 ब्लॉक 1	2	दुकान भू. सं. 05 16	18.00 18.00	1,11,000/-	50,000/-	15.05.2018 11.00 A.M.
10	रामचन्द्रपुरा योजना	9	दुकान भू. सं. 101 103	13.50 13.50	35,000/-	50,000/-	16.05.2018 11.00 A.M.
			116 118	13.50 13.50	90,000/-		
11	पालड़ी मीणा	10	आवासीय भू.सं. E-10 E-17	90.00 90.00	12,500/-	50,000/-	17.05.2018 11.00 A.M.
12	गोकुल नगर योजना ग्राम गोकुलपुरा एवं झोटवाडा	PRN North 1	आवासीय भू.सं. 605 (कार्नर) 628 (कार्नर)	228.15 228.15	30,000/-	50,000/-	18.05.2018 11.00 A.M.
13	जादौन नगर वी के समीप दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास अनुमोदित Convencience Shopping Center में स्थित दुकान	4	दुकान भूखण्ड सं. 1 2	18.58 18.58	1,55,000/-	50,000/-	21.05.2018 11.00 A.M.

14	चित्रकुट योजना सैक्टर-1	7	आवासीय भू.सं. F-1/155 (कान्तर) E-1/357	76.50 120.00	55,000/-	50,000/-	22.05.2018 11.00 A.M.
15	सालिगरामपुरा	14	आवासीय भू.सं. A-351 B-348	162.00 252.00	15,200/-	50,000/-	23.05.2018 11.00 A.M.
16	हाथोज करधनी विस्तार	12	व्यावसायिक भू.सं. S-50 S-53	112.50 112.50	16,000/-	50,000/-	24.05.2018 11.00 A.M.
17	विद्याधर नगर सैक्टर-3	2	दुकान भू. सं. 04 (कान्तर) 24 (कान्तर) (SC)	9.00 9.00	1,50,000/-	50,000/-	25.05.2018 11.00 A.M.
18	हाथोज करधनी विस्तार	12	आवासीय भू.सं. F-87 (कान्तर) F-88 (कान्तर)	157.50 157.50	11,000/-	50,000/-	28.05.2018 11.00 A.M.
19	रामचन्द्रपुरा योजना	9	दुकान भू. सं. 104 107 112 115	13.50 13.50 13.50 13.50	35,000/- 90,000/-	50,000/-	29.05.2018 11.00 A.M.
20	जादौन नगर बी के समीप दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के पास अनुमोदित Convencience Shopping Center में स्थित दुकान	4	दुकान भूखण्ड सं. 7 8	18.58 18.58	1,55,000/-	50,000/-	30.05.2018 11.00 A.M.
21	पालड़ी मीणा	10	आवासीय भू.सं. E-31 E-40	90.00 90.00	12,500/-	50,000/-	31.05.2018 11.00 A.M.

नीलामी की मुख्य शर्तों के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर देखें।

(एस.जेड. शाहिद)
विशेषाधिकारी
(संसाधन विकास)

नीलामी की मुख्य शर्तें- (1) अमानत राशि बोली से पूर्व राशि रुपये 50,000.00/रुपये 15,00,000.00 (विज्ञापन के अनुसार) सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पक्ष में डी.डी./पे- ऑर्डर के रूप में जमा करानी होगी, सफल बोलीदाता की समायोजन योग्य। (2) नजराना राशि की कुल राशि के 15 प्रतिशत राशि (अमानत राशि को समायोजित करते हुए), 24 घण्टे में एवं शेष राशि मांग पत्र के 30 दिन में जविप्रा के खाते में जमा कराना अनिवार्य है। यह राशि नकद, डीडी, RTGS/ NEFT के माध्यम से भी जमा कराई जा सकती है। इस प्रकार राशि जमा नहीं होने पर भूखण्ड के प्रति जमा राशि जब्त करते हुए नीलामी निरस्त कर दी जावेगी। (3) बोलीदाता को पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी। (4) भूखण्ड नियमानुसार शहरी जमाबन्दी के आधार पर विक्रय होंगे। (5) आवासीय भूखण्डों (300 वर्ग मीटर से अधिक) एवं वाणिज्यिक भूखण्डों पर क्रमशः 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर व 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर BSUP (Shelter) Fund चार्जेज अतिरिक्त देय होंगे (6) मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। (7) बोली 50/- रु के गुणक में स्वीकार होगी। (8) अन्य व्यक्ति के नाम से बोली लगाने के लिये नोटरी से प्रमाणित अधिकार पत्र तथा फर्म के लिये संविधान/रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित दस्तावेज अनिवार्य (9) बोली स्वीकार करने से पूर्व किसी भी सम्पत्ति की नीलामी को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार जयपुर विकास आयुक्त में निहित होगा। (10) सम्पत्ति "जहाँ है जैसी है" के आधार पर नीलाम (11) क्र.सं. 17 पर उल्लेखित दुकान भूखण्ड संख्या के समक्ष अंकित SC वर्ग के अनुसार आरक्षित है। इनके लिये बोली केवल सम्बन्धित जाति के व्यक्ति ही लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति साथ लाना अनिवार्य है। (12) भूखण्ड का क्षेत्रफल मौके पर उपलब्धता के अनुसार घट-बढ़ सकता है। (13) बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि बोली लगाने से पूर्व कृपया स्थल निरीक्षण कर लेवे। (14) प्रचलित नियम एवं शर्तें लागू।